राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।

क्रमांक एफ 1 (A)I (23) राईस/स्था./2017/10471 दिनांक 31-01-2018

सीमित निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि राजस्थान रेजिडेन्सियल ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस) (राज. सरकार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, कमरा नम्बर **411**, अम्बेडकर भवन,सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर में एक कम्प्यूटर मशीन मय ऑपरेटर सेवायें ऐजेन्सी के माध्यम से लेने हेतु वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 28.07.2008 की शर्तो के अध्यधीन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के नियम संख्या 16 के अनुसार अधिकतम राशि रू. 8500/–प्रति माह की सीमा के अध्यधीन किराये पर लेने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है।

अतः इच्छुक संस्था/फर्म जो कम्प्यूटर मशीन मय आपरेटर किराये पर देना चाहे, वो अपनी दरें बन्द लिफाफे में दिनांक **09.02.2018** को दोपहर **2.00 बजे** तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करे। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन सांय **3.30** बजे खोली जावेगी।

निविदा की शर्ते :–

1. अनुबन्ध प्रारंभ में 6 माह (01.03.2018 से 31.08.2018) की अवधि के लिए होगा। संतोषप्रद कार्य करने पर उक्त अगले 6 माह तक या 28.02.2019 जो भी पहले हो तक के लिए बढाया जायेगा।
2. प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
3. राजकीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर कम्प्यूटर टाईपिंग करनी होगी। आवश्यकता होने पर राजकीय अवकाश में भी बुलवाया जा सकता है, जिसका अलग से भुगतान देय नही होगा।
4. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म को इस आशय का 500/– रू. के नॉन ज्यूडिशल स्टाप पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदा प्रपत्र में कम्प्यूटर मशीन मय ऑपरेटर की दर ही अंकित करें एवं किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदायें निरस्त कर दी जावेगी।
6. अन्य शर्ते वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28.07.2008 एवं 01.07.2015 के अनुसार है।

(डा. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं सचिव राईस

क्रमांक एफ 1 (A)I (23) राईस/स्था./2017/10472-80 दिनांक 31-01-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) एवं आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यावास।
3. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा को विभागीय एवं SPPP Portal पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. स्टोर कीपर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मै. नन्दी कम्प्यूटर सर्विससेज, 50 अशोक विहार, झोटवाडा, जयपुर।
8. मैं. हिना कम्प्यूटर सेन्टर, 18 कुमावत कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
9. मै रूपम इनफोटेक, 113 कैलाश नगर, झोटवाडा, जयपुर।

31.01.2018
(सुभाष चन्द्र शर्मा)
उप निदेशक
राईस